

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक-3705 /11-सी-FP/UP/Road/141411/2021, लखनऊ, दिनांक: जून 24, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-जौनपुर के अंतर्गत एन०एच० डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/४७/२०२२/एफ०सी०/५१, दिनांक 29.04.2022 एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक-3327/29-1, दिनांक 10.06.2022 एवं पत्रांक-3453/29-1, दिनांक 23.06.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के उपरोक्त पत्रांक-3327/29-1, दिनांक 10.06.2022 एवं पत्रांक-3453/29-1, दिनांक 23.06.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ सहित वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3705 /11-सी-FP/UP/Road/141411/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, जौनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०, वाराणसी।

  
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।